

केन्द्रीय विद्यालय, पौड़ी गढ़वाल
जिला-पौड़ी गढ़वाल-246001, उत्तराखण्ड
ई-मेल: kvpauri@gmail.com Tel. Ph.(01368-221699)

साक्षात्कार सूचना (Walk-in-Interview)

पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय पौड़ी (गढ़वाल) में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 हेतु पूर्णतया अनुबंध /अंशकालिक आधार पर शिक्षकों की चयन सूची बनाने हेतु दिनांक : 14/08/2025 दिन गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे से चालित-साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार जो न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करते हों, अपने प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छायाप्रति व एक पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

क्र.	पदनाम	अनिवार्य योग्यता
1	स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेज़ी)	केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार।
2	प्राथमिक शिक्षक	
3	व्यावसायिक शिक्षक /ट्रेनर	
4	विशेष शिक्षक	

Note : (i) साक्षात्कार के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।

(ii) अन्य जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट <https://pauri.kvs.ac.in> देखें।

प्राचार्य

पात्रता मानदंड (के.वि.एस. भर्ती नियमों के अनुसार)

अंशकालिक/संविदा शिक्षकों/व्यावसायिक शिक्षकों एवं अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए

Sl. No.	पद	योग्यता	सी टी ई टी	अनुभव
1	पी जी टी (अंग्रेजी)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और बी.एड.. वांछनीय: 1. हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण में दक्षता 2 कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान	-	वरीयता
2	प्राथमिक(प्राथमिक)	जेबीटी/या उसके समक्षक कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र(12 th)/या स्नातक के साथ बी.एड.. वांछनीय: 1. हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण में दक्षता 2. कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान 3 जेबीटी/या उसके समक्षक को वरीयता दी जायेगी	सी टी ई टी	वरीयता
3	विशेष शिक्षक	अनिवार्य: बी.ई./बी. टेक/एम.टेक (इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग) न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव		
4	विशेष शिक्षक प्राथमिक (प्राथमिक)	किसी भी विकलांगता श्रेणी में ग्यारहवीं उत्तीर्ण और दो वर्षीय बी.एड. विशेष शिक्षा। या किसी भी विकलांगता श्रेणी में ग्यारहवीं उत्तीर्ण और एक वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा (डीएसई)। या समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर) में डिप्लोमा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या बहु पुनर्वास कार्यकर्ता (एमआरडब्ल्यू) में डिप्लोमा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या बधिरों को पढ़ाने में कनिष्ठ डिप्लोमा। या दृष्टिबाधित बच्चों में प्राथमिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। या व्यावसायिक पुनर्वास-मानसिक मन्दता (डीवीआर-एमआर) में डिप्लोमा/व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार-मानसिक मंदता (डीवीटीई-एमआर) में डिप्लोमा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के प्रमाणपत्र के साथ। या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के साथ डियरिंग भाषा एवं वाणी (डीएचएलएस) में डिप्लोमा। या बारहवीं उत्तीर्ण, न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की किसी भी आरसीआई मान्यता प्राप्त योग्यता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के साथ। या आरसीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समक्षक योग्यता		

निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- उम्मीदवार के पास ऊपर निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए।
- न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 18 और 65 वर्ष होगी।

PRINCIPAL